State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,

Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक :– SHSB/PM/22/2005-VI - 8422

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार ।

पटना, दिनांक :– 28/09/2012

विषय : जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों तथा आशा कार्यकर्त्ता को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 ।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करें, जिसके माध्यम से जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया था । निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में प्रोत्साहन राशि का भुगतान निम्न रूप से किया जाता है –

कार्य	लाभार्थी (गर्भवती महिला ग्रामीण क्षेत्र)	लाभार्थी (गर्भवती महिला शहरी क्षेत्र)	लाभार्थी (आशा / आंगनवाड़ी सेविका) ग्रामीण क्षेत्र	लाभार्थी (स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता) शहरी क्षेत्र
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन			50 रू०/–	50 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1 प्रसव पूर्व जाँच 2 प्रसव पूर्व जाँच 3	300 रू०/–	300 रू०/–	100 रू०/–	50 रू०/–
आई० एफ० ए० 1 आई० एफ० ए० 2 आई० एफ० ए० 3	300 रू०/–	300 रू०/–	100 रू०/–	50 रू०/–
टी० टी० 1 टी० टी० 2	100 रू०/–	100 रू०/–		
कुल	700 रू०/–	700 रू०/–		
संस्थागत प्रसव	700 रू०/–	300 रू०/–		
बी०सी०जी० टीकाकरण			100 रू०/–	50 रू०/–
कुल	1400 रू०/–	1000 रू०/–	350 रू०/–	200 रू०/–

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,

Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में जननी सुरक्षा योजना के प्रोत्साहन राशि को ब्रेकअप कर वितरित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । यह व्यवस्था राज्य में ANC को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तर से की गई थी । इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है । भारत सरकार के द्वारा भी स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालात में गर्भवती माता को एक मुश्त ही पूर्ण प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाय ।

अतः निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D. O. No. Z-14015/1/2010/NMBS/JSY (1), दिनांक 07.09.2012 (प्रति संलग्न) के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 को विलोपित किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुश्त कुल 1400/– रूपये तथा शहरी क्षेत्र में एक मुश्त 1000/– रूपये प्रसूति माताओं को तथा आशा/आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक मुश्त 350/– रूपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 200/– रूपये शहरी क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रसव के उपरांत करना सुनिश्चित करें ।

यह दिशा–निर्देश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

अनु0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)